16

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांकः- प.6(4)राज-6/2000/ 26 जयपुर, दिनांकः- 16/5/2001

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या-15 वर्ष 1956) की धारा 26 की उप-धारा (1) सपठित धारा 260 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतर्दद्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पर आरोपित कर्त्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग/उपयोग उनके क्षेत्राधिकार के भीतर करने हेतु सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सीकर एवं श्रीमाधोपुर को अधिकृत करती है।

यह अधिसूचना दिनांक 31.7.2001 तक प्रभावी रहेगी ।

राज्यपाल के आदेश से,
(एल0 एन0 शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, राजस्व मंत्री/राजस्व राज्य मंत्री/मुख्य सचिव/राजस्व सचिव।
2. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व ।
3. जिला कलेक्टर, सीकर ।
4. संभागीय आयुक्त, जयपुर ।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 16/5/01 में प्रकाशनार्थ ।
7. "राविरा" राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
8. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
9. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर ।
10. सहायक कलेक्टर, सीकर / श्रीमाधोपुर ।
11. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

मनोज/